

प्रेषक

महानिदेशक,
खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में,

1. हरियाणा राज्य में सभी विभागाध्यक्ष।
2. हरियाणा राज्य में सभी निगमों/बोर्डों के प्रबन्धक निदेशक/मुख्य प्रशासक।
3. हरियाणा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार।
4. रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, चण्डीगढ़।

विषय:-

यादि क्रमांक 9431 टीए-हर (4टी) 2025/ दिनांक
Clarification with reference to re-fixation of pay and recovery arising thereof.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयाधीन मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 29/42/2011-4एफ0ए0 दिनांक 04.09.2024 (प्रति सलग्न) के सन्दर्भ में लिखा जाता है कि विभाग के पत्र क्रमांक 6112 टीए-हर (4टी) 2016/5615-20 दिनांक 11.08.2016 के द्वारा एस0ए0एस0 काडर के अधिकारियों/कर्मचारियों की पे-फिक्सेशन तथा पेंशनरी बैनिफिट प्रदान करने बारे हिदायतें जारी की गई थी, जिसके अनुसार एस0ए0एस0 काडर के अनुभाग अधिकारियों की अनुभाग अधिकारी के पद पर ज्वाइनिंग को पदोन्नति नहीं माना जाना है तथा इन हिदायतों के अनुसार पदोन्नति न मानते हुए अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति के समय वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान नहीं किया जाना है तथा अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति को प्रथम नियुक्ति मानते हुए आगामी ए0सी0पी0 का लाभ दिया जाना है।

उपरोक्त स्थिति में आपसे अनुरोध है कि आप माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आर0एस0ए0 संख्या 3413 आफ 2010 में तय किए गए कानून के विपरीत लिए जा रहे लाभों का विश्लेषण करें तथा अनुभाग अधिकारियों द्वारा लिए जा रहे लाभों की जांच कर वित्तीय निहितार्थ यदि कोई हो तो प्रस्ताव भेजा जाए।

संयुक्त निदेशक

कृते: महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ0 क्रमांक 9431 टीए-हर-4टी/2025/ 3229

दिनांक:- 20/05/2025

इसकी एक प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार वित्त विभाग, वि0ले0 शाखा को उनके पत्र क्रमांक 29/42/2011-4एफ0ए0 दिनांक 04.09.2024 के सन्दर्भ में।
2. 1टी/18टी, महानिदेशक, खजाना एवं लेखा विभाग हरियाणा चण्डीगढ़।
3. श्री सुनील बहल, प्रोग्रामर, खजाना तथा लेखा विभाग हरियाणा चण्डीगढ़ कार्यरत एन.आई.सी., हरियाणा सिविल सचिवालय को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि इसे विभाग की साईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संयुक्त निदेशक

कृते: महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़


From

The Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Finance Department.

To

The Director,
Treasuries and Accounts, Department,
Haryana, Chandigarh.

Memo No. 29/42/2011-4FA
Dated Chandigarh, the 04.09.2024



Subject:- Clarification with reference to re-fixation of pay and recovery arising thereof.

Reference to your letter No. 5432-TA-HR(4T)2024/4056, dated 17.07.2024 on the subject noted above. CP-101

2. It has been observed that the Section Officers, appointed under 1982 Rules and 2013 Rules, are taking promotional increment on their appointment as Section Officer (by treating it as promotion) and also taking ACP scales at subsequent stage (by treating their appointment on direct post). Once the question of law has been settled by the Hon'ble High Court in RSA No. 3413 of 2010 the same should be read as part of the applicable rules though no amendment is made in the rules accordingly. Section Officers should only be entitled to claim the benefits by treating their appointment on direct post and not be entitled for any benefit by claiming their appointment as promotional post. Therefore, you are requested to send the proposal after examining the benefits being taken by the Section Officers and to analyze the benefits which are being taken in contradiction to the law settled by the Hon'ble High Court in RSA No. 3413 of 2010 and the financial implications if any.

Superintendent Finance Accounts
for Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Finance Department